

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-10) विभाग

क्रमांक प.24-7(1)स्था/अभि/2023

जयपुर, दिनांक: हस्ताक्षरित

आदेश

राजस्थान अभियोजन सेवा संवर्ग के निम्नांकित अधिकारीगण उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-4 में अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वित्त विभाग की आज्ञा संख्या प.1(6)वित्त/रुल्स/98 दिनांक 24.5.2004 के अनुसरण में इन्हें कॉलम संख्या-4 में अंकित तिथि को अपरान्ह से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है-

क्र. सं.	नाम अधिकारी व पद	जन्म दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री अनिल सिंह सोलंकी, संयुक्त निदेशक अभियोजन	13.05.66	31.05.26	—
2.	श्रीमती रेखा ठाठोदिया, सहायक निदेशक अभियोजन	15.05.66	31.05.26	—
3.	श्री मुरारी लाल पारिस, संयुक्त निदेशक अभियोजन	01.06.66	31.05.26	—
4.	श्री अशोक कुमार बम्नावत, संयुक्त निदेशक अभियोजन	01.07.66	30.06.26	—
5.	श्री जोराराम, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन	05.07.66	31.07.26	—
6.	श्री मेघराम मीणा, उप निदेशक अभियोजन	15.07.66	31.07.26	—
7.	श्री मदन लाल वर्मा, सहायक निदेशक अभियोजन	15.08.66	31.08.26	—
8.	श्री कमल कुमार शर्मा, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन	16.08.66	31.08.26	—
9.	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, उप निदेशक अभियोजन	02.10.66	31.10.26	—
10.	श्री महेश दाधीच, संयुक्त निदेशक अभियोजन	03.11.66	30.11.26	—
11.	श्री थानेश्वर राठौड, संयुक्त निदेशक अभियोजन	19.12.66	31.12.26	—
12.	श्री सुरेन्द्र कुमार भारद्वाज, संयुक्त निदेशक अभियोजन	16.01.67	31.01.27	—
13.	श्री कैलाश चन्द मीणा, सहायक निदेशक अभियोजन	20.01.67	31.01.27	—
14.	श्री हंसराज राकावत, उप निदेशक अभियोजन	30.01.67	31.01.27	—

15.	श्री अनिल कुमार गहलोत, सहायक निदेशक अभियोजन	09.02.67	28.02.27	—
-----	--	----------	----------	---

1. क्रम संख्या 01 से 15 पर अंकित अधिकारियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. क्रम संख्या 01 से 15 पर अंकित अधिकारियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. क्रम संख्या 01 से 15 पर अंकित अधिकारियों के विरुद्ध कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,

(तिरुपति कुमार गुप्ता)
शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. वरिष्ठ उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (गृह) महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय गृह राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. वरिष्ठ उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-3 जांच/शिकायत) विभाग।
5. निदेशक, पेंशन विभाग, राज. जयपुर।
6. निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
7. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर, जयपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, भरतपुर, उदयपुर, दौसा, अलवर।
9. समस्त अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
10. समस्त प्रकोष्ठ अभियोजन निदेशालय।
11. संबंधित अधिकारीगण द्वारा निदेशक अभियोजन, राज0 जयपुर।
12. सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
13. रक्षित/निजी पत्रावली।

शासन सचिव, गृह (विधि)